प्रेस नोट- नवम्बर 14, 2023

उ.प्र. रेरा ने आवंटी की देनदारी न्यूनतम करवाते हुए इकाई का कब्जा दिलाना सुनिश्चित कराया

उ.प्र. रेरा कंसिलिएशन फोरम ने प्रोमोटर 'मेसर्स गौर संस हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.' की गौतम बुद्ध नगर स्थित परियोजना के एक आवंटी "नीतू ठाकुर" को कब्जे में हुए विलम्ब का ब्याज तथा कब्जे हेतु अंतिम मांग में सम्मिलित कई प्रकार के शुल्कों का आपसी सहमति से समाधान करवाते हुए उनकी इकाई का कब्जा दिलाना सुनिश्चित कराया। कंसिलिएशन फोरम की मध्यस्थता से प्रोमोटर ने जारी अंतिम मांग राशि लगभग रुपये 1.40 लाख में से कई शुल्कों को हटा दिया तथा आवंटी को रुपये 35 हजार का ब्याज देने को तैयार हुआ। इसका समायोजन अंतिम मांग राशि में करवा दिया गया और आवंटी की देनदारी न्यूनतम करवाते हुए इकाई का कब्जा दिलाना सुनिश्चित किया गया।

आवंटी के अनुसार उसने परियोजना में वर्ष 2015 में एक इकाई की बुकिंग की थी। लगभग रुपये 10 लाख 52 हजार की लागत वाले इकाई के लिए आवंटी द्वारा एग्रीमेन्ट फोर सेल के अनुसार लगभग पूर्ण राशि का भुगतान किया जा चुका था। आवंटी को अगस्त 2018 तक कब्जा प्राप्त होना था लेकिन कब्जा प्राप्त नहीं हुआ। इकाई का कब्जा प्राप्त होने में हो रही देरी, अंतिम मांग राशि में सम्मितलित कई प्रकार के शुल्कों और विलंबित अवधि के लिए आवंटी ने 2020 में उ.प्र. रेरा में शिकायत (GAU20920209260) दर्ज की थी।

कंसिलिएशन फोरम की सुनवाई में प्रोमोटर अधिकतम शुल्क हटाकर केवल वास्तविक बकाया राशि पर इकाई का कब्जा देने का प्रस्ताव दिया जिसे आवंटी ने स्वीकार करके अपनी सहमति दे दी जिसके उपरान्त दोनों पक्षों ने समझौता कर विवाद समाप्त कर लिया और समझौते की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय, उ.प्र. रेरा में जमा करवा दी। कंसिलिएशन फोरम द्वारा विवाद का समाधान होने से सन्तुष्ट आवंटी ने उ.प्र. रेरा के प्रयासों की सराहना की।

उ.प्र. रेरा द्वारा एनसीआर में स्थापित कन्सिलीएशन फोरम में सुनवाई के माध्यम से लगभग 1,300 से ज्यादा मामलों में लगभग रुपये 510 करोड़ की परिसंपत्तियों को विवाद मुक्त कराया गया है।

Press Note- November 11, 2023

U.P. RERA ensures possession to the allottee at minimum liability

U.P. RERA conciliation fourm ensured interest of the delay period in the possession of the unit and merged it in the final demand of the promoter before possession. Post mediation of the conciliation forum, M/s Gaur Sons Hi-Tech Infrastructure Pvt. Ltd." and the allottee, Ms. Neetu Thakur, the promoter waived off maximum charges of the final demand which was Rs. 1.40 lakh. The allotte got Rs. 35,000 as delay interest which was further merged in the last demand and finally possession of the unit was ensured to the allottee.

According to the allottee, she had booked a unit in 2015 in the project. The cost of the unit was Rs. 10.52 lakh and following the Agreement for Sale, she had paid almost full amount. The possession was proposed in August 2018 but she did not get possession. Due to delay in possession, charges in various heads in the last demand and no interest of the delay period from promoter, she filed an official complaint (GAU20920209260) in U.P. RERA.

Post mediation of the conciliation forum, the promoter agreed to waive off charges of various heads and offered possession as per actual due which was accepted by the allottee. In this way, both parties agreed and signed an agreement and submitted a copy to the Regulatory Authority. Satisfied with the settlement, the allottee appreciated the efforts of U.P. RERA.

Due to efforts of the Conciliation Forum of Regional Office, U.P. RERA, almost 1300 matters have been resolved and properties worth Rs. 510 Cr. have been settled.